

# अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

## जिला कमेटी, गुडगांव

सेवा में,

29-3-2007

आयुक्त गुडगांव मण्डल  
गुडगांव

विषय: श्रमिक समस्याओं एवं पुलिस प्रशासन श्रम विभाग के खिलाफ ज्ञापन

श्रीमान् जी,


जिला एटक कमेटी इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान श्रमिकों पर मालिकों द्वारा किये जा रहे हमले पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। श्रमिक द्वारा यूनियन बनाने का सवैधानिक हकों का इस्तेमाल करने पर उनके उपर झूठे पुलिस केस, एवं नौकरी से निकालने की यातना झेलना पडता है। पहला उदाहरण होण्डा काण्ड, दूसरा क्लासिक गोल्फ, अमीरा फुडस के हैं।


क्लासिक गोल्फ के 77 श्रमिकों पर झूठा 307 होण्डा काण्ड में 67 श्रमिकों पर 307 एवं अमीरा फुडस के श्रमिकों पर अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। अमीरा फुडस के श्रमिक कोर्ट से बरी हो गए। क्लासिक गोल्फ के 67 श्रमिकों के जांच पडताल के बाद केस से अलग कर दिया गया। फैशन एक्स्प्रेस के महिला श्रमिकों के साथ प्रबन्धकों ने अभद्र व्यवहार एवं यौन प्रताडना की कार्यवाही की। श्रमिका की शिकायत के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। उपरोक्त कम्पनी के श्रमिक अपनी अपनी संस्था के आगे संघर्षरत हैं। क्लासिक गोल्फ के श्रमिकों पर अभी भी झूठे केस दर्ज किये जा रहे हैं। तालाबंदी 06.10.2006 से कर रखी है।


पेज बाकी...2

श्रमिक समस्याओं के समाधान में श्रम विभाग गंभीर नहीं है। इसलिए यंहा श्रमिक अंशांति बनी रहती है।

1. अतः आपसे प्रार्थना है कि फैशन एक्सप्रेस के मालिक पर महिलाओं के साथ अमद्र व्यवहार एवं योन शोषण के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराये एवं श्रमिक समस्यायें समाप्त करा जाये।
2. क्लासिक गोल्फ में चल रही तालाबन्दी खत्म कराकर सभी श्रमिकों को नौकरी पर बहाल कराये जाये। श्रमिकों पर बनाये गये पुलिस केस वापस लिये जाये।
3. अमीरा फूडस के मालिक द्वारा नौकरी से निकाले श्रमिकों को बहाल कराये एवं लगातार श्रमिकों को नौकरी से निकालने एवं अनुचित श्रम व्यवहार पर रोक लगायी जाये।
4. उपरोक्त कम्पनी में स्थायी श्रमिकों को नौकरी से निकालने के बाद ठेकेदारों के श्रमिक द्वारा कराये जा रहे काम पर रोक लगायी जाये।
5. ट्रेड यूनियन आंदोलन में श्रमिकों पर बनाये गये पुलिस केस समाप्त कराये जाये।

  
MURGILV



भवदीय  
  
Suresh Kumar  
जिला कमेटी  
गुडगांव

संलग्न :

संबंधित श्रमिकों / यूनियन द्वारा दिये गये शिकायत पत्र